राजकीय प्रयोगार्थ

जिला आपदा प्रबन्ध योजना

जनपद – बागपत

सन्तोष कुमार शर्मा
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बागपत

धनलक्ष्मी के0
जिलाधिकारी
बागपत

प्रस्तावना

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ
01	प्रस्तावना	01 से
02	जनपद बागपत एक परिचय	
03	आपदा इतिहास एवं सम्भावना	
04	आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यो की भूमिका	
05	तैयारी सटीक प्रतिक्रिया	
06	रासायनिक हथियारों/पत्थरों से सम्बन्धित आपदा	
07	परमाणु–आपदा	
08	जैविक–आपदा प्रबन्धन	
09	अग्निकाण्ड	
10	भूकम्प	
11	चक्रवात	
12	बाढ़ आपदा प्रबन्धन	
13	सूखा	
14	आकाशीय बिजली	
15	सम्बन्धित शासनादेश	
16	जनपद बागपत के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर	
17	सूचना प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप	

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

अध्याय–1

–: **प्रस्तावना**:–

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम –2005 में आपदा को दैवी,मानवजनित,दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें व्यापक जन –धन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हों तथा प्रभावित क्षेत्र के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हों । परम्परागत रूप से दैवी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड,आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि आदि के उपरान्त पीड़ितो को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नई परिस्थितियों में अनेक मानवजनित दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो सकती है जिनका असर दैवी आपदाओं के बराबर या उससे अधिक हो। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में दैवी आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारको को भी शामिल किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन में पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास का राष्ट्रीय नेटवर्क, राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को यथा सम्भव रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के दौराना सीधे मदद पहुॅचाना, प्रभावितो को आपदा से उबारने में मदद एवं उनका पुनर्वास करना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधि0–2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर से बनायी गयी नीतियों का अनुपालन एवं अनुश्रवण, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं में बेहतर ताल मेल स्थापित कर आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा की दशा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यो का बेहतर संचालन करना है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल 07 सदस्य हैः–

जिलाधिकारी बागपत	जिला पंचायत अध्यक्ष	पुलिस अधीक्षक	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 वि0 खण्ड	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड
पदेन अध्यक्ष	पदेन सह अध्यक्ष	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य/ सचिव	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

जनपद बागपत में परम्परागत रूप से बाढ़, सूखा की अलग–अलग प्रबन्ध योजना बनती रही है जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के बाद उसकी देख रेख में एकीकृत प्रबन्ध योजना बनायी जा रही है।

बागपत की आपदा प्रबन्धन को चार भागो में बॉटा गया है। सुविधा के लिये प्रत्येक भाग में कुछ अध्याय बनाये गये है। प्रथम भाग में ऐसे विषयो को रखा गया है जो विभिन्न आपदाओ की तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाने तथा उन्हे लागू करने,क्षमता विकास आदि से सम्बन्धित है । तृतीय भाग में योजनाओ के क्रियान्वयन का फीड बैक,रिर्पोटिंग व्यवस्था आदि विषय है। चतुर्थ भाग में महत्वपूर्ण शासनादेश, महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर जिले का नक्शा आदि है।

अध्याय–2

जनपद बागपत–एक परिचय

बागपत जिला यमुना नदी के बायें किनारे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है। यमुना, हिण्डन, कृष्णा तीन मुख्य नदियॉ है। जनपद में कुल 315 राजस्व ग्राम 03 तहसील 06 विकास खण्ड 10 थाने 06 नगर पालिका तथा 02 नगर पंचायत 06 डाकबंगले 10 डाकघर एवं 02 मुख्य डाकघर है। चिकित्सा की दृष्टि से जनपद स्तर पर 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 23 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है।

जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। रबी की मुख्य फसल गेंहू तथा खरीफ की मुख्य फसल धान है। जिला राजनैतिक दृष्टि से संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। 01 लोकसभा तथा 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है।

2011 में सम्पन्न जनगणना के अनन्तिम आकंडे जनपद की स्थिति को और स्पष्ट करते है।

जनगणना

	कुल	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
ग्रामीण	1028023	553807	474216	
नगरीय	275025	146263	128762	
योगः	1303048	700070	602978	

साक्षरता

	कुल	पुरूष	स्त्री	साक्षरता दर
ग्रामीण	626257	388481	237776	
नगरीय	171713	101377	70336	
योगः	797970	489858	308112	72.01

अध्याय–3

आपदा इतिहास एवं सम्भावना

जनपद बागपत में बाढ,सूखा,अग्निकाण्ड, ऑधी तूफान, ओलावृष्टि शीत लहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदाये आती रही है।

1–जनपद बागपत में बाढ़ की स्थिति– बागपत जिला यमुना नदी के बायें किनारे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है। बागपत की अधिकांश आबादी यमुना नदी के बायें किनारे एवं दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बसी हुई है।

यमुना नदी के ताजेवाला हैड से पानी चलकर जिला शामली के बाद जिला बागपत की सीमा में प्रवेश करता है। पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखा जाये तो सबसे बड़ी बाढ़ वर्ष 1978 में आयी थी जिसमें दिनांक 3–9–1978 में ताजेवाला हैड से 7,09,239 क्यूसेक्स पानी पास हुआ था जो कि दिनांक 5–9–1978 में बागपत जिले से पास हुआ था जिसने जिला बागपत में बड़ी तबाही मचाई थी। इस बाढ़ में लगभग 5000 हैक्टेयर जमीन एवं बड़ी संख्या में आम जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ था।

सिंचाई विभाग द्वारा 1978 की बाढ़ के बाद ग्राम मवीकलां से एक बांध यमुना नदी के बायें किनारे पर अलीपुर बांध 18.166 किमी. लम्बाई में बनाया गया जो बागपत के समीप दिल्ली–सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–57 से प्रारम्भ जनपद बागपत एवं गाजियाबाद की सीमा में सटी 5600 हैक्टेयर जमीन के साथ–साथ लगभग 2300 आवासीय एवं 1100 व्यवसायिक यूनिट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है एवं 1978 से अभी तक आई सभी बाढ़ों में पूर्ण सुरक्षित रहा है।

वर्ष 1978 के बाद 1980 में 2,75,137 क्यूसेक्स, 1983 में 2,70,474 क्यूसेक्स, 1985 में 3,05,350 क्यूसेक्स पानी जिला बागपत से पास हुआ। इसके बाद 1988 में एक बार फिर जिला बागपत को बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा, दिनांक 27–9–88 में ताजेवाला हैड से 5,75,522 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया जोकि दिनांक 29–9–88 में जिला बागपत से पास हुआ जिससे बड़ी मात्रा में हानि जिला बागपत को सहनी पड़ी।

1989 में 3,49,261 क्यूसेक्स एवं 1995 में 5,36,331 क्यूसेक्स पानी आया, 1996 में 2,77,803 क्यूसेक्स, 1997 में 3,98,849 क्यूसेक्स, 1998 में 2,54,428 क्यूसेक्स, 1999 में 2,55,163 क्यूसेक्स, 2000 में 2,78,991 क्यूसेक्स, 2001 में 2,57,481 क्यूसेक्स, 2002 में 3,11,174 क्यूसेक्स पानी जिला बागपत में पास हुआ।

उपरोक्त बाढ़ से हुई क्षति एवं कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रभावित ग्रामों में कराये गये जिससे कम से कम कटाव हो सके।

इसके बाद वर्ष 2008 में 4,09,876 क्यूसेक्स, 2009 में 4,20,454 क्यूसेक्स के बाद 2010 में उस समय की अधिकतम बाढ़ के दौरान दिनांक 23–9–2010 में ताजेवाला हैड से 7,44,076 क्यूसेक्स पानी पास हुआ जो कि दिनांक 25–9–2010 को जिला बागपत से पास हुआ।

वर्ष 2011 में भी 6,41,472 क्यूसेक्स एवं गत वर्ष जिला बागपत के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ 8,06,464 क्यूसेक्स पानी 18 जून 2013 को जिला बागपत से पास हुआ जिससे ग्राम सिसाना, ग्राम खण्डवारी, ग्राम राजपुर खामपुर, ग्राम सुल्तानपुर हटाना, ग्राम खेड़ी प्रधान, ग्राम जागौस, ग्राम कोताना, ग्राम ककौर कलां, ग्राम ककौर खुर्द, ग्राम बदरखॉ, ग्राम छपरौली, ग्राम नैथला, ग्राम सबगा, ग्राम टाण्डा एवं बागपत टाउन में जिला बागपत की भूमि का यमुना नदी द्वारा कटाव किया गया।

2–सूखा अनावृष्टि के कारण वर्ष 2004 व 2005 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हुआ। सूखे से खरीफ की फसल को क्षति पहॅुचाने का इतिहास जनपद का रहा है । सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थिति नही आयी है , जिसमें किसी गॉव की आबादी या पशुओ को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा हो अथवा टैंकर से जलापूर्ति करनी पडी हो। भुखमरी की स्थिति भी अब तक पैदा नही हुयी है।

3–अग्निकाण्ड

अग्निकाण्ड का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है , क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

4–ओलावृष्टि एवं शीतलहरी

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा कदा धन एवं जन की हानि होती रही है। ऑधी तूफान से भी जन धन की हानि हुई है किन्तु ओलावृष्टि ,शीतलहरी , ऑधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का नही है।

5–भूकम्प एवं साईक्लोन

भूकम्प एवं साईक्लोन का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है , क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

6–मानव जनित आपदाओं की आशंका

जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है , क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

अध्याय–4

आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यो की भूमिका

आपदाये व्यापक पैमाने पर जन–धन को क्षति पहुॅचाती है । ओर इसका सीधा नुकसान इस क्षेत्र के विकास कार्यो को पहुॅचाता है। विकास की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिये विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा प्रबन्धन से जोड़ने में है जिससे क्षति कम से कम हो और क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सकें। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इस पर बल देने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबन्धन पर पृथक से एक अध्याय दिया गया है इसका उद्देश्य विकास योजनाओं से आपदा प्रबन्धन को जोड़ना है।

जिले स्तर पर बाढ़, सूखा,सिंचाई, पेयजल,शिक्षा,निर्माण आदि क्षेत्रों में गतिमान कई योजनाओं को विकास योजनाओं से सम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुड़े विभागो, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत समझे जा सकते है।

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
कलक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागो के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदुषण नियन्त्रण, निर्माण आदि की निगरानी	विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय
मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे रोजगार गारन्टी योजना	सूखा,बाढ़, भूकम्प की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन
अधिशासी अभियन्ता जल निगम	ग्रामीण पेयजल योजना	सूखा,बाढ़, भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाईप लाईनो का रख रखाव आदि।
जिला पंचायत राज अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता सुनिशिचित कराना।
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान,मध्यान्ह भोजन आदि अन्य विभागीय योजनायें।	1–विधायलय को भुकम्प रोधी बनाना। 2–विधालयो का रख रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सके। 3–छात्रो एवं शिक्षको के माध्यम से आपदा प्रबन्धन की प्रति सम्बेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा करना।
जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बाढ के समय नष्ट हुई फसलो की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धता एवं जागरूकता । इसी प्रकार सूखे की स्थिति में कम पानी वाली

		फसलो के बीजो की उपलब्धता एवं जागरूकता।
पशु चिकित्सा अधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रो में पशुओ का टीकाकरण ,घायलो का इलाज एवं मृत पशुओ के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रो में टीकाकरण , घायलो का इलाज एवं शवो के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
आवास एवं नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बिल्डिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धो का कडाई से अनुपालन ,भुकम्प रोधी भवनो का निमार्ण सम्बन्धी विधियो का अनुपालन।
अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड।	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	डूब क्षेत्रो का पर्यवेक्षण ,बॉधो का समुचित रख रखाव एवं सुरक्षा।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/योजनाये।	सूखे के समय नहरो में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

संक्षेप में कहा जाये तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से सम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओ को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुडे विभिन्न पहलुओ का ध्यान रखें,तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारणा सफल होगी। दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से हाने वाली क्षति भी कम होगी।

अध्याय–5

तैयारी एंव सटीक प्रतिक्रिया

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की जानी है।

1–उपलब्ध संसाधन

2–समुदाय आधरित आपदा प्रबन्धन

3–प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पुर्वाभ्यास ।

4–इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम।

5–आपात कालीन केन्द्र।

1–उपलब्ध संसाधन– जनपद में सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागो में कार्यरत है । सिविल पुलिस ,होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यो हेतु लगाये जा सकते है। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0ए0 के स्वयं सेवको की सेवाये भी ली जा सकती है। उपलब्ध संसाधनो की सूची संलग्नक–1 पर प्रदर्शित है।

2–समुदाय आधरित आपदा प्रबन्धन :– सामुदायिक योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियो ओर समुदाय की असुरक्षा कम की जाय ओर आपदाओ की विकारी असर को सहन करने की उनकी क्षमता बढाई जाय । अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगो की सहभागिता आवश्यक होती है। क्योकि जवाबी कार्यवाही करने में सबसे पहले आगे आते है । आपदा की हालत में वही लोग सफल एवं उपयोगी होते है, जिनके पास चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण होता है। आपदा से पहले तथा तथा उसके पश्चात के कुछ घण्टे लोगो के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसे हालात में समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते है। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिशा में समुदाय एक विशेष भुमिका निभाते है। समुदाय की शिक्षा ओर सहयोग के बिना आपदा प्रबन्धन की कोई योजना पूरी नही हो सकेगी।

इस बाढ प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुये ग्राम स्तर तक की कार्ययोजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गया है। ग्राम स्तरीय कार्य योजना बनाने के लिये चैक लिस्ट अनुसंलग्नक–1 के रूप में भाग–4 में संलग्न है।

3–प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पुर्वाभ्यास :– इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है। :–

समग्र प्रशिक्षण /जागरूकता कार्यक्रमः–

स्तर	मुख्य आयोजक	प्रतिभागियो का विवरण	कार्यक्रम का विवरण
जिला	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी , जनप्रतिनिधि मीडियाएवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग	1– प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्याक्रम दो भागो में चलाया जायेगा । प्रथम भाग में आवश्यक सूचनायें दी जायेगी। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास करके व्यवहारिक प्रशिक्षण
तहसील	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी,जनप्रतिनिधि ,मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग	

ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी ,जनप्रतिनिधि मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग।	दिया जायेगा। 2– सभी स्तरो पर सम्बन्धित अधिकारियों संस्थाओ , जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया ं दायित्वो पर भी चर्चा की जायेगी।
ग्राम	लेखपाल ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी ,ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य आदि	

4–इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम :– किसी दुर्घटना की स्थिति में अफरा तफरी से बचने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियन्त्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियन्त्रक जिला मजिस्ट्रेट है। भिन्न आपदाओ के प्रकृति के हिसाब से भिन्न इन्सीडेन्ट कमाण्डर बनाये गये है। मानव जनित आपदाओ जैसे जैव,परमाणु तथा रसायन हमले की स्थिति में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेण्ट कमाण्डर है। बाढ,सूख,भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओ के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इन्सीडेण्ट कमाण्डर है।

इन्सीडेण्ट कमाण्डर के मुख्य कार्य

1–आपात स्थिति में संचार की समन्वित व्यवस्था।

2–त्वरित राहत/बचाव एवं खोज बलो को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

3–विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

4–उपलब्ध संसाधनो की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

5–आपात कालीन केन्द्र :– राजस्व कन्ट्रोल रूम से भिन्न प्रर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओ/ उपकरणो से युक्त एक आपात कालीन केन्द्र कलैक्ट्रेट बागपत में स्थापित किया जायेगा। उपजिलाधिकारी स्तर से अधिकारी इसके प्रभारी होंगें। सामान्य दिनो में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण ,जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्थ सैनिक बलो में समन्वय रखेगा।यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीकरण करेगा तथ सर्व समबिन्धत को सूचित भी करेगा । शासन को भेजे जाने वाली रिपोर्टो को संकलित एवं तैयार करने का कार्य भी करेगा।

भाग–2

अध्याय–6

रसायनिक हथियारो/पदार्थो से सम्बन्धित आपदा

अनेक प्रकार के रसायनिक पदार्थ/जहरीली गैस ,द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाये पैदा कर सकती है , जो मनुष्यों ,पशुओ,फसलो, आदि के लिये खतरनाक हो सकती है। इनमें से अधिकांश जलन ,आन्तरिक अथवा वाहृय चोट अथवा अपंगता पैदा कर सकते है।हवा के माध्यम सें ये फैलकर ऑख,फेफडा,चमडी आदि पर घातक असर डालते है। संक्रमित खाद्य पदार्थो के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पडता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इसका दुष्प्रभाव पडता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाये दुर्घटनावश भी हो सकती है, और आसान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग भी कर सकते है।

इस प्रकार के रसायनो का वर्गीकरण ,उपयोग के विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है

1– उपयोग के आधार पर कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिये है, इन्हे केमिकल वारफेयर cw कहा जाता है। Tabun(GA),Sarin(GB)Soman(GD),VX;Sulfer Muster (HD)Lewisite(L)Hydrogen Cyanide(AC)Chlorine आदि इसके उदहारण है।

2- दोहरे उपयोग वाले कुछ रसायनो का प्रयोग सैन्य तथा औधोगिक इकाईयो में किया जाता है । 2-Chloroethanol,Ammonium Bifluride Arsenic Tricloride,Benzilic ACID

3-कई औधोगिक रसायन भी जहरीले होते है। Ammonia,Arsine,Chlorine Sulfer Dioxide Hydrogen Bromide आदि इसके उदहारण है।

4- कीटनाशको (Pesticide) जैसे कुछ रसायनो का प्रयोग जैसे कृषि कार्यो में भी होता है। Herbicids सीधे फसलो को क्षति पहुॅचाते है।

बागपत में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नही है । पैट्रोल टैकर ,एल0पी0जी0 टैंकर आदि का उपयोग भी आतंकवादी इस प्रकार की घटनाओं के लिये कर सकते है।

सम्भावित स्थल

1–भीड़–भाड़ वाले इलाके।
2–टेलीफोन एक्स्चेन्ज
3–पुलिस लाईन
4–विधुत उपकेन्द्र बागपत।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण किया जायेगा।

1–जॉच दल–इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा । यह दल संक्रमण /खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनो की जॉच एवं परिक्षण हेतु कार्यावाही भी करेगा।

2–विसंक्रमण दल–यह दल संक्रमण /खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों /उपकरणो एवं क्षेत्र का विसंक्रमण /सफाई भी करेगा।

3–बचाव दल–यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगो को समस्याओ के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलो को अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4–चिकित्सा दल–दुर्घटना स्थल पर यथा संभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यो का सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।
5–सुरक्षा अधिकारी–सुरक्षा एवं सूचनाओ के आदान प्रदान के लिये अधिकारी होना चाहिये जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे अतिरिक्त संसाधनो की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे जेनरेटर,पेयजल व्यवस्था ,एम्बूलेन्स,वाहन ,मानव श्रम।

लघु, मध्यम एवं दीघ्र अवधि की कार्य योजना

लघु समय (0–3वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

1–सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबंधो का पूर्व अनुपालन किया जाना
2–अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग
3–खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना,
4–प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनो का विकास /सचल प्रयोगशालााओ का भी प्रयोग
5–फण्ड की उपलब्धता
6–मेडिकल टीमो का प्रशिक्षण एवं उपकरण
7–जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण
8–स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

इसमें सारे कार्य का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनो के अनुसार उसमें परिवर्तन /संशोधन करना है । इस अवधि तक निम्न बिन्दुओ पर कार्य करने होंगे।
1–एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालो पर लागू किया जायेगा।
2–सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना जिसमें अस्पताल परिवहन ,पुलिस फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओ मे संचार सम्बन्ध हो।
3–सभी प्रकार के खतरो को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करे – क्या न करे

क्या करेंः–

1– प्रभावित क्षेत्र खाली करे तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन पर तथा पुलिस/अस्पताल को तत्काल सूचित करे।
2– जहरीली गैसो के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पड़े तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढ़ाचे के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिडकियां ,पंखे, एयर कण्डीशनर बन्द कर दे।
3– रेडियों,टी0वी की घोषणाएं सुने एवं जब कहा जाये तब बाहर निकले।
4– बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करे एवं कपड़े प्लास्टिक के बैग में अलग रख दे।

5– यदि खुले में हो तो मुँह व नाक गीले कपड़े से बन्द रखें।
6– संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों /पदार्थो से दूर रहे।
7– 100 मीटर के दायरे को बन्द किया जाये।
8– हवा की दिशा में 500 मीटर तक तत्काल खाली किया जाये।
9– पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाये।
10– Three Colour Detector paper (tcd) paper और RVB-Residual vapeur Decetion kit का प्रयोग करें chemical agent की खोज करना।
11–Chemical ajent moniter ap2/CAM का प्रयोग कर nerve/glister agent का पता करना यदि nerve agent है तो विष रोधी दवाओ हेतु autojet injector (aji) का प्रयोग करना । यदि gelister agent है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु PDK - Personak Decontamination kit का प्रयोग करना।
12– स्पेक्ट्रोस्कोपी (spectroscopy) आधारित CAM का प्रयोग कर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मानीटर AP2C का प्रयोग ।
13– विसंक्रामक सूट पहनकर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण तथा विसंक्रमण से करना।
14– प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए casulty बैग का प्रयोग करना।
15– व्यक्तिगत सुरक्षा कवज किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत पहनाया व उतारा जाये।

पहनने का क्रम	उतारने का क्रम
1–IPG-Individual protective	1– विसंक्रमण किट से सफाई
2– Shoes	2– Shoes
3– सर्जिकल और व्यूटाईल रबर दस्ताना	3– व्यूटाईल रबर दस्ताना
4– मास्क एवं थैनिस्टर	4. IPG
	5.सर्जिकल दस्ताना
	6. थैनिस्टर व फेस मॉस्क

क्या न करे–

1– किसी द्रव को न छुए।
2– स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाये।
3– हवा के अनुकूल दिशा में न जाये।
4– अफवाह न फैलाये।
5– बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारे जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जाये।
6– किसी भी संक्रमित वस्तु न छुए। इन्हे सील प्लास्टिक बैग में ही रखे।
7– जब तक कहा न जाये अपने शरण स्थल से बाहर न निकले।
8– नंगे पैर न निकले।
9– अनावश्यक टेलीफोन न करे।

विषनाशक एवं जीवनरक्षक दवाओं शोधक /विषनाशक पदार्थो/आवश्यक उपकरणों एवं आपातकालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची अनुसंलग्नक–2 पर भाग–4 पर लगायी गयी है।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए Standard Opration System (SOP) इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्र0 सं0	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास ।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।रासायनिक पदार्था के भण्डारण परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्रित करना	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय/ राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0/ रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण

		करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	विधुत विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस के दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न,	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न,

		आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–7

परमाणु आपदा

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थो के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा की जा सकती है । आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों,फसलों , खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने का प्रयास कर सकते है। दुर्धटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लांट पर आ सकती है या रेडियोधर्मी पदार्थो के परिवहन के दौरान हो सकती है, इस देश में देश की संस्था Atomic Energy Regulatory Board [ARRB] है जो Atomic Energy Act 1962 के तहत मुख्य नियन्त्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण परिवहन,प्लाण्ट आदि पर रहता है । मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदि काल से प्रकृति के स्रोतो से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है । भारत के केरल के तटीय इलाकों,चीन,ब्राजील,ईरान आदि में इससे अधिक मात्रा मे विकिरण लोगो की प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता हैः–

1– विद्युत उत्पादन में परमाणु विखण्डन (Nuclear fission) का प्रयोग किया जाता है।

2– कोबाल्ट–60 और Cs –137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।

3–co–60 या cs–137 का y – स्रोत के रूप में मेडिकल उत्पादों ,मांस ,सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।

4– कैंसर के ईलाज हेतु Teletherapy में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थिति को कहते है, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो ।

परमाणु विस्फोट का प्रभाव– विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊँचाई, हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव–प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार करता है।

1– विस्फोट प्रभाव– अचानक विस्फोट से बहुत अधिक उर्जा निकलती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और आस–पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संधनित (compressed) वायु फैलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है।इससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है जिससे चीजे उड़ने लगती है।

2– गर्मी का प्रभाव– अत्यधिक गर्मी तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है जिससे आग लग जाती है तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलते जाने से आग का तुफान सा आ सकता है।

3– विकिरण– शुरू के 01 मिनट मे प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है। इसके बाद गैस या धूल कणो के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते है तथा कई सौ कि0मी0 तक के क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकते है जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन आने वाली पीढ़ियो तक पड़ सकता है ।

उक्त से निपटने के लिए विशेष मेडिकल तैयारी भी होनी चाहिएः–

1– विसंक्रमित कक्ष का निर्माण– चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।

2– धूल रहित वायुः– ईलाज के लिए एक ऐसा वार्ड होना चाहिए जहॉ शुद्ध वायु मिल सके।

3–रेडियोएक्टिव वस्तुओं के निस्तारण की प्रथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।

4– सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सके।

5– सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुॅचेगी। इनके पास आवश्यक उपकरण होंगे। उपकरणों/यन्त्रों की सूची अनुसंलग्नक–3 पर है।

6– पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।

7– जिले में रेडियोएक्टिव पदार्थो का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टाफ,डाक्टर, एंबुलैंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होंगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फैलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमे उपकरण एवं औषधियां होनी चाहिए।

8– इन कार्यो के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना के उपरान्त बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगे।

9– विकिरण मानिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाये जा सकते है, जो नजदीकी थाने से जुड़े हो। साथ ही पुलिस वाहनों में भी यह उपकरण लगाये जा सकते है। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जॉच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए जो वर्तमान में सबसे नजदीक हो।

घटना के दौरान

इस प्रकार की किसी आपत स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना स्थल को प्रस्थान करे। ये दस्ते शिफ्टों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होंगीः–

1– खोजी टीम– यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जॉच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जॉच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते है और कितना क्षेत्र प्रतिबन्धित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेगी।

2– विसंक्रमण टीम– यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल पानी को टैंको में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने से पूर्व सघन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3– बचाव एवं विस्थापन टीम– यह टीम मुख्य रूप से लोगो के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हे विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जायेगा। लागो को सही सूचनाएं देकर अफवाहों पर विराम लगायेगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुॅचायेगी।

4– मेडिकल टीम– यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल पहुॅचाने की जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।

5– समन्वयी टीम– उक्त सभी टीमों के कार्यो में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान प्रदान के लिए सुरखा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

1– घायलो एवं पीड़ितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसंक्रमित की जायेगी। मृतको के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जायेगा।

2–मिट्टी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्हे विसंक्रमित किया जाएगा।

3– विसंक्रमण के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री को मशीनों में इकट्ठा किया जायेगा तथा धूॅल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जायेगा। क्षेत्र को पानी से धोकर भी विसंक्रमित किया जायेगा।

परमाणु आपदा–प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

1–बचाव एवं राहत कार्यो का चिन्हांकन।

2– विस्थापन एवं पुनर्वास की आवश्यकताएं।

3– विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था,शिफ्टवार सूची।

4– उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।

5– लाउडस्पीकर, टार्च ,जनरेटर, प्लास्टिक बैग, एम्बुलैन्स,स्टैचर, गैस मास्क आदि का उपयोग।

6– संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।

7– विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।

8– विसंक्रमण।

9– संचार व्यवस्था।

10– रेडियोएक्टिविटी का स्तर।

11– मानव, पशु शवों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैग में सील करके पूर्व निर्धारित स्थल पर ही किया जाये।

12– संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जाये तथा लोगो को विसंक्रमित करके ही कही जाने दिया जाये।

13– घटना का विवरण संक्षेप में कलाक्रमानुसार तैयार करना।

14–निषिद्ध क्षेत्र में आने जाने वाले हर व्यक्ति का अभिलेखीय करण किया जाये। नाम, जाने/आने का समय, कारण आदि।

15– प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश के समय Pocket dosimeter दिया जाये तथा उसकी जाने एवं आने के समय रीडिंग ली जाये।

लघु ,मध्यम एवं दीर्घ अविध की कार्ययोजना

इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिये कम समय (0–3वर्ष)में निम्न कार्य करने है।

लघु समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने है।

1–सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबन्धो का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2–अभिसुचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3–खतरे ओर संवेदनशीलता के विशलेषण का तंत्र विकसित करना।
4–प्रयोगशाला एवं अन्य संसाधनो का विकास /सचल प्रयोगशालाओ का प्रयोग
5–फण्ड की उपलब्धता
6–मैडिकल टीमो का प्रशिक्षण एंव उपकरण
7–जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण
8–सवास्थ सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने है

इस अविध का मध्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने है

इसमे सारे कार्यो का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनो के अनुसार उसमें परिवर्तन /संशोधन करना है इस अविध तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगें।

1–एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राईवेट सभी अस्पतालो पर लागू किया जायेगा।
2–सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना,जिसमें अस्पताल,परिवहन पुलीस फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओ से संचार सम्बन्ध हो।
3–सभी प्रकार के खतरो को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओ का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करे–क्या न करें

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व

1–संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों / पदार्थो से दूर रहे।
2–आवास में एक विस्फोट बनाये या चिन्हित करें जहॉ पर पूरा परिवार रह सके।
3–यदि वेसमेन्ट न हो तों घर के सामने गढढा खोदकर बंकर बना लें।
4–घर पर नष्ट या खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5–शरणालय में मूत्रालय व शोचालय की भी व्यवस्था करें।
6–प्रर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7–बैट्री संचलित रेडियो रखें।
8–खिडकियों एवं शीशे के दरवाजो पर काला पेपर चिपका दे।

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान

1–4 से 5 फिट गहरे गढढे की तलहटी में गामा विकिरण से बचाव हो सकता है।
2–प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3–यदि खुले में हो तो तत्काल जमीन पर लेट जाये तथा तब तक पडे रहे जब तक मिटटी,कंकड,लकडी के टुकडे गिरने बन्द न हो जाय।
4–ऑख व चेहरे को हाथों से ढक लें।

5–कानों को भली भांति अंगुली से बन्द कर लें।
6–यदि वाहन में है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे कर वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण ले।

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद

1–चोट पर जलन तथा क्षति अत्याधिक घवराहट पैदा कर सकते है। अतः मानसिक दृष्टि से मजबूत एवं शान्त बने रहे क्योकि यदि दुर्घटना स्थल के पास नही है ओर विस्फोट मे बम बच गये है तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है ।
2– छोटी मोटी आगों को फैलने से पहले बुझा दे।

इस प्रकार की आपदा से निपटनें के लिये standard operation system (SOP) इस प्रकार हैं।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय/ राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा

				व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को कियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	विधुत विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस के दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता	

		/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सपोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुर्नवास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–8

जैविक आपदा प्रबन्धन

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहूँचाते है। युद्ध में शत्रु ओर आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टिरिया वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते है । भौगोलिक सीमाओ से परे ये मानव से मानव में पशुओ से मानव में ओर फसलो से मानव में फैल सकते है।

एन्थ्रेक्स,छोटी चेचक,प्लेग,स्वाइन फलू, एडस कालरा आदि इसके उदहारण है। लगभग 17 देश जैविक हथियारो पर काम कर रहे है । कई छोटे बडें आतंकवादियों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान है । काई भी व्यक्ति पशु–पक्षी या पेड–पौधा प्राकृतिक रूप से ये रोग फैला सकता है। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तमाल हो सकते है। भारतीय संदर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य बिन्दु है।:–

1–रेगिस्तानी ,हिमालयो क्षेत्रो में सैन्य ठिकानो पर हमले की आशंका कम है किन्तु नौ सेवा बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानो जो भौगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।

2–आतंकवादी ऐन्थेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते है।

3–बर्ड फ्लू से पोप्ट्री उधोग को व्यापक क्षति पहुॅची साथ ही मनुष्यो को शारिरिक क्षति ओर परेशानी हुई इस प्रकार कृषि उत्पाद ओर पशु पक्षी भी निशाना बनाये जा सकते है Parthenium hystearpharus, 50 के दशक में गेंहुं के साथ आया ओंर फसलो का बहुत क्षति पहुॅचायी।

4–शहरी क्षेत्रो में अत्याधिक जनसंख्या धनत्व इस प्रकार के रोगो की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम है जैसे 1994 में सूरत में फैला प्लेग रोग ।

इसका असर दो प्रकार से हो सकता है एन्थ्रेक्स की श्रंखला नही बनती जबकि छोटी चेचक,प्लेग की श्रंखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय

क्षमता,मानव,संसाधन,विकासः–प्रशिक्षण Refreks courSes, नियंत्रण कक्षो की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित व्यक्ति इन स्थानो के लिये। शिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शनी प्रतियोगिताये होनी चाहिये सभी प्रशिक्षण छद्म प्रदर्शन/अभ्यास पर केन्द्रित होना चाहिये तथा जन सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिन्दु पर भी केन्द्रित होना चाहिये कि किसी भी तरह उत्तेजना /अफवाह न फैलने पाये सावधानियॉ एवं रहन सहन मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार ।

1–हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र /प्रयोगशालाओ का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।

2–विभिन्न संस्थाओ की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थिति से निबटने में कुछ Model विकिसत करें।

3–विद्यमान आपातिक संचारत्पन्न स्वास्थ तंत्र प्रेस मीडिया तथा NGO's का नेटवर्क बनाना तथा अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओ से जोडना।

4–हर स्तर पर मेडिकल प्लांनिंग चिन्हित अस्पतालों को Upgrade करना ,मोबाईल टीमें विकसित करना इस बस में पर्याप्त दवायें सुसज्जित स्टॉक आदि।
5–चिन्हित क्षेत्रो में सूचना प्राप्त होने पर पानी ,भोजन ,स्वच्छता –सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।
6– मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निपटने के वैकल्पिक उपायों का विकास/वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्वप्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू हैः–

1– संवेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकनः– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते है या फिर से फैल सकते है या जानवरों के रोग जो मनुष्यों में हो सकते है की जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान, स्थान पर प्रवेश में सावधानी तथा लक्षण प्रकट होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझ कर ऐसे रोग फैलाने/युद्ध/आतंकवादी घटनाओं के मध्य प्रतिरोध/पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।

2– पर्यावरण सुरक्षाः– पानी के स्रोतो पर सतत निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई रोग वाहक वायरस–शव निस्तारण आदि भी महत्तवपूर्ण बिन्दु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी,मच्छर नियन्त्रण के लिये उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फौगिंग आदि की जा सकती है।

3–आपदा के बाद महामारी की रोकथामः–किसी आपदा के बाद महामारी की आंशंका/संभावना अधिक रहती है।

4– एकीकृत रोग निगरानी व्यवस्थाः– वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ो का आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।

5– टीकाकरणः– ऐसी दवाएं एवं उनका उत्पादन करने वाली संस्थाएं चिन्हित कर उनका उत्पादन तथा टीकाकरण का कार्य करना होगा।

6– स्कूल/कालेज बन्द करना/मेला आदि पर रोक/कार्यालय/सिनेमाहाल बन्द कर काफी हद तक के रोगो के प्रसार को विलम्बित किया जा सकता है।

1– क्षमता विकासः– केन्द्र/राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए

- ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान प्रदान व्यवस्था।
- नियन्त्रण कक्ष, पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनो और स्टाफ के साथ।

2– प्रशिक्षण एवं शिक्षाः– सभी स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक तथा आतंकी रोग में अन्तर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।

3–जनजागरूकता एवं सहभागिताः– क्या करें /क्या न करें की शिक्षा, जिसमे सफाई, खानपान आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुॅचाने हेतु निर्दिष्ट करना तथा सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल /ड्रामा, प्रतियोगिता, पेन्टिग आदि द्वारा जागरूकता फैलायी जा सकती है।

4– चिकित्सा मुख्य रूप से अस्पतालों में होगी। इस कारण अस्पतालों की सुक्ष्म योजना तैयार होनी चाहिए।

आधार भूत संरचनाएं

1– प्रयोगशालाओं का नेटवर्कः– वर्तमान प्रयोगशालाओ को सशक्त करना होगा तथा जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगो की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करनी होगी। राष्ट्रीयजैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मॉग है।

विभिन्न स्तरों पर निम्न जरूरतों के हिसाब से प्रयोगशालाओं की जरूरत है।

1– जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं जो रोग के कारण का पता लगा सके।

2– मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं सन्देह की स्थिति में गाईड करने हेतु ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारियां

ये तैयारियां स्टाफ एवं प्रथम सूचना देने वाले के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए निम्न पर केन्द्रित होगी।

- पूरा अस्पताल खाली कराया जा सकता है।
- न्यूनतम 50 से 60 मरीजों के ईलाज की व्यवस्था हों तथा इसके लिए स्थान, उपकरण, स्टाक आदि हो।
- एम्बुलैन्स।
- संचार साधन।
- सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों के मध्य नेटवर्किग।
- मोबाइल दस्ते एवं मोबाइल अस्पताल।
- आवश्यक दवाओं/ उपकरणों का भण्डारण।
- त्वरित प्रतिक्रिया।
- मरीजों को लाना पहुॅचाना।
- खतरे से सावधान करना।
- खतरे वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी/चिकित्सा।
- मानसिक/सामाजिक देखभाल के प्रबन्ध।
- हर कार्य के परिणाम की Monitoring और मूल्यांकन।

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबन्धन

कृषि एवं खाद्य उद्योगो में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझ कर आतंकी गतिविधियॉ की जा सकती है क्षतिकारक कीडे,वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमले खतरनाक है।

वर्ष 1943 मेंकोट्टयम (केरल) में केले के पौध में एक रोग Banana Vunchy Top) श्रीलंका से आया ओर धीरे धीरे असम,तमिलनाडू आदि प्रदेशो में फैल गया । प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पडा ओर कुछ क्षेत्रो से केले की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी।

वर्तमान तैयारी–कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अर्न्तराष्ट्रीय हवाई एवं अडडो पर 29 Plant Quauantine केन्द्र है। जो आयातीत अनाज,बीज ओर अन्य कृषि उत्पादो की जॉच करते है,किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नही है।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमे गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

1–जॉच दल इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनो की जॉच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।

2–विसंक्रमण दल–यह दल संक्रमण /खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणो एवं क्षेत्र का विसंक्रमण /सफाई भी करेगा।

3–बचाव दल –यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगो की समस्याओ के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलो का अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।

4–चिकित्सा दल–दुर्घटना स्थल पर यथा संभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यो को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।

5–सुरक्षा अधिकारी–सुरक्षा एवं सूचनाओ के आदान प्रदान के लिये अधिकारी होना चाहिये ,जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे अतिरिक्त संसाधनो की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे जनरेटर,पेयजल व्यवस्था एम्बुलेंस,वाहन,मानव श्रम।

क्या करे जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान

1–शारिरिक स्वच्छता का ध्यान रखे। नाखून कटे हो तथा खाना खाने से पहले हाथ धोंये।

2–पानी उबालकर पिये।

3–सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थो का सेवन करें।

4–उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करे।

5–नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकायें।

6–किसी तरह की बिमारी की सूचना आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष अथवा स्वास्थ विभाग को दे।

7–संक्रमित खाद्य पदार्थो वस्तुओ फसलो इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें।

8–मच्छरदानी का प्रयोग करे।

क्या न करे।

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होने दे।

1–पानी एकत्रित न होने दे।

2– संक्रमित अथवा बासी खाद्य एवं पेय पदार्थो का सेवन न करें।

जैविक आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्र्डड आपरेटिंग सिस्टम (sop)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का

		की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास ।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगो का आवागमन नियमित/प्रतिबन्ध करना।	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय/राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय ।रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो	प्रभावितो क्षेत्रो की	पीडित व्यक्तियों को

		का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	कृषि विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना जैविक लक्षणो पर सतत दृष्टि रखना	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की फसलो के रोगो का चिन्हीकरण एवं उपचार जिससे उन रोगो का प्रसार पशुओ एवं मनुष्यो मे न हो सके।	रिर्पोटिंग आदि की समुचित व्यवस्था
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर	पुर्नवास कार्यो में मदद करना।

			राहत एवं बचाव कार्य करना।	
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–9

अग्निकांड

जनपद बागपत में अग्निकांड से सम्बन्धित कोई बडी घटना घटित नही हुई हैं । अग्निशमन अधिकारी की सूचना के अनुसार फायर सर्विस बडौत जनपद बागपत आपदा राहत योजना निम्न है ।

क्र0सं0	पद नाम	स्वीकृति	उपलब्ध	रिक्त	अतिरिक्त	अन्य विवरण
01	अग्निशमन अधिकारी	01	01	0	0	
02	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	02	0	02	0	
03	लीडिंग फायर मैन	03	05	0	02	
04	फायर सर्विस चालक	03	05	0	02	
05	फायर मैन	21	14	07	0	

वाहन / उपकरण

क्र0 सं0	वाहन के प्रकार	उपलब्ध संख्या	वर्तमान दशा
01	मोटर फायर इंजन (टैंकर)	03	कार्यशील
02	वाटर मिक्स हाई प्रेशर मिनी टैकर	01	कार्यशील
03	ब्लोरो कैम्पर	02	कार्यशील
04	टाटा सूमो	01	कार्यशील
05	पोर्ट बुल पम्प	04	कार्यशील
06	बिडिंग आपरेटस	01	कार्यशील
			एक फायर टैंकर मय युनिट थाना खेकडा पर तैनात है।

03–संचार व्यवस्था–फायर सर्विस बडौत कन्ट्रोल रूम में एक वायर सैट उपलब्ध है जिसका नम्बर –262495–101–9454418752–9454418753 है।

फायर बिग्रेड के पास पर्याप्त संसाधनो का अभाव है इस दिशा में निम्न कार्यवाही कार्य योजना में शामिल की जानी आवशयक है।

1–तहसील बागपत तथा तहसील खेकडा में फायर स्टेशन की स्थापना।
2–वाहनो की संख्या बढाया जाना।
3–सभी विधालयो /बडी संरचनाओ में फायर फाईटिंग व्यवस्था।
4–कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जाना।

अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करे।

अपने मकान/स्थान को खाली करने की पूर्व योजना दिमाग में रखे तथा पूर्वाभ्यास भी करें।

1–मकान/स्थान से निकलने के दो मार्ग सोचकर रखे।
2–फायर एक्सट्यूगिसर लगवाये तथा चलाना भी जाने।
3–आग/कार्बन मोनो आक्साईड एलार्म लगवाये तथा उसे ठीक दिशा में रखें।
4–मकान/स्थान के बाहर किसी खुली जगह में मिलने का स्थान भी सोचकर रखें।

5–मकान में एल0पी0जी0 गैस की पाईप खराब होने से पहले बदल दे।
6–बच्चो को ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखे।

क्या करे अग्निकांड के दौरान

1–आग या कार्बन मोनो आक्साईड की सूचना पर शान्ति से किन्तु जल्दी मकान/स्थान खाली करे।
2–कोई वस्तु/दरवाजा छूने से पहले समझ ले कि वह बहुत गर्म न हो।
3–धुवें की स्थिति में जमीन /फर्श से सटकर रहे क्योकि धूवॉ उपर उठता हो।
4–फायर /पुलिस से सम्पर्क करें।
5–पेट्रोल से लगी आग पर पानी काम नही करता तथा विधुत से लगी आग से पानी डालने पर बिजली फैलने का खतरा रहता है। अतः पैट्रोल से लगी आग में मिटटी /बालू का इस्तमाल करे तथा बिजली से लगी आग में विधुत कनेक्शन काटने के बाद पानी डाले।

क्या करे अग्निकांड के उपरान्त

1–घायलो को खुले एवं ठण्डे स्थान पर रखे तथा निकटम चिकित्सालय पर ले जाय।

क्या न करे।

1–जलती मौमबत्ती ,अगरबत्ती गैस मिटटी के तेल का उपयोग ,अलॉव ,चूल्हे, बीड़ी या सिगरेट न छोडे।
2–घर में अनावश्यक एवं अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ न रखे।
3–घटना के दौरान घबराये नही।
4–बिजली के तार पर कपडे न फैलाये।
5–सडक पर बिजली विभाग के गिरे तारो की उपेक्षा न करके तत्काल विभाग को सूचित करे।
6–फसलो के मौसम में खेतो के पास आग न जलाये।

अध्याय–10

भूकम्प

जनपद बागपत में भूकम्प का कोई इतिहास नही है। भूकम्प में होने वाली क्षति का सबसे बडा भाग मकानो के टूट कर गिरने का कारण होता है । मकानो के टूटने से होने वाली सम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलबे में दब कर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। और इससे स्थिति अत्याधिक भयावह हो जाती है। इसी कारण –

भूकम्प से सम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्प रोधी मकान बनाना मुख्य योजना में शामिल किया गया है। इसके लिये लोगो के परिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियंता नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओ की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (indian metrological departmewnt) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोडल एजेन्सी बनायी गयी है तथा bureau of indian standerd भारतीय मानक ब्यूरो को भूकम्प रोधी मकानो की विधि एवं अन्य सुरक्षा मानको हेतु नोडल बनाया गया है।

पूर्व तैयारी

बचावः–

1– कमजोर/पुराने/अनुरक्षित ढॉचो का चिन्हीकरण।
2–पुल आदि भूकम्प रोधी।
3–बिल्डिंग प्लान लागू करना ।
4–इंजीनियरो का परिक्षण /मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
5–तहसील/विकास खण्ड/ग्राम/विधालय स्तर पर प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास।
6–चिकित्सीय तैयारियॉ।
7–शरणालयो का चिन्हांकन।

क्या करे भूकम्प के पूर्व

1–अपने परिवार को भूकम्प के खतरो से अवगत कराये तथा बचाव के तरीके भी बताये।
2–स्थानीय पुलिस थाना,फायर स्टेशन ,अस्पताल का फोन नम्बर रखें।
3–बच्चो को बताये कि वे आपात स्थिति में स्कूल में ही रूके।
4–पूर्व सूचना की दशा में आपातकालीन किट एवं कुछ खाद्य व पेय पदार्था अपने साथ रखें।
5–अपना घर/कार्यालय भूकम्परोंधी बनाये।

क्या करे भूकम्प के दौरान

1–यदि समय हो तो घर/मकान से बाहर किसी खुली जगह में जहॉ बिजली के पोल व पेड आदि न पहुॅचे।
2–मकान में ही दरवाजा व मेज आदि के नीचे शरण लें।

क्या न करे।

1–अफवाह न फैलाये।
2–किसी व्यक्ति या समुदाय , संस्था को दोषारोपण न करें।
3–यदि यात्रा में है तो वाहन पुल या ओवरब्रिज आदि के उपर या नीचे न चले।

आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्र्डड आपरेटिंग सिस्टम (sop)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्रमांक	अधिकारी / संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास ।आवश्यक आधुनिक उपकरणो / संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य / अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगो का आवागमन नियमित / प्रतिबन्ध करना।	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय / राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य / अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय ।रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो / पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य

			नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	लोक निमार्ण विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना		क्षतिग्रस्त भवनो, पुल, सड़को आदि की मरम्मत/निर्माण करना क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मॉग करना।
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन	पुनर्वास कार्यो में मदद करना।

		/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13	विकास प्राधिकरण एवं शहरी नगर निकाय	भूकम्परोधी मानको का दृढ अनुपालन, कमजोर ढांचो को चिन्हित कर उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।		अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य
14	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

अध्याय–11

चक्रवात

वातावरण में कम दबाब का क्षेत्र बनने में तेज हवाये उसके चारो ओर चलने लगती है, जिससे चक्रवात आते है । चक्रवात में तेज ऑधी एवं खराब मौसम का भी आगमन होता है। उत्तरी गोलार्थ में यह हवा घड़ी की सूई की उल्टी दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्थ में घड़ी की सूई की दिशा में चलती है। हवा की गति जितनी तेज होती है, नुकसान की मात्रा उतनी अधिक होती है। भारत के संदर्भ में चक्रवात का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में पड़ता है। बागपत जनपद में भीषण चक्रवात का कोई इतिहास नही रहा है, फिर भी समय–समय पर इसका असर देखने को मिलता है तेज ऑधी एवं तुफान से पेड़ गिर जाते है। पेड़ के गिरने से विद्युत के खम्बे एवं तार टूट जाते है जिससे बिजली की समस्या पैदा होती है तथा करण्ट से यदा कदा दुर्घटनाएं हो जाती है। पेड़ो एवं कच्चे मकान/मण्डई के गिरने से जन हानि भी हो जाती है।

पूर्व तैयारीः–

1–पूर्व सूचना प्रणालीः– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सहित अनेक संस्थाए इस कार्य में लगी है। चक्रवात आने की पूर्व सूचना मिलने से सतर्क दृष्टि रखते हुए जनहानि से बचा जा सकता है।

2– मकानों की संरचना– मकानों के निर्माण के समय उन्हे चक्रवात रोधी बनाया जाये।

3– जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण– जिला,तहसील, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी एजेन्सियो एवं स्वयंसेवी संस्थाओ को शामिल कर जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण से चक्रवात से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

4– रेन गेजों की स्थापना– परम्परागत रूप से तहसील मुख्यालयों में रेन गेजों की स्थापना हुई है। जिससे वर्षा सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किये जाते है। किन्तु आधुनिक संचार प्रणाली के अन्तर्गत रेन गेजों की स्थापना की आवश्यता हैं ।

5– चिकित्सीय तैयारी–जिला एवं तहसील स्तर पर सचल दस्ता तैयार रहे जिसे आवश्यकता अनुसार भेज कर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

6–पीडितो को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करायी जाय।

अध्याय–12

बाढ आपदा प्रबन्धन

जनपद बागपत यमुना व हिण्डन नदी के मध्य बसा हुआ है यमुना नदी के बाये किनारे पर अलीपुर तटबंध नामक एक बन्ध बना हुआ है, जिसकी लम्बाई 18.166 कि0मी0 है जिससे लगभग 5600 है0 कृषि भूमि सुरक्षित होती है इस तटबन्ध की 9.000 कि0मी0 लम्बाई जनपद बागपत में पड़ती है शेष लम्बाई 9.166 कि0मी0 जनपद गाजियाबाद मे पड़ती है इस तटबन्ध से जनपद बागपत के ग्राम मवीकलां, काठा,सांकरौद बांगर व खादर, कुतुबपुर विरान, फखरपुर विरान, नूरपुर मुजावता, एवं सुभानपुर की कृषि योग्य भूमि की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होती है। यमुना नदी की बाढ़ से टाण्डा, नांगल, कुर्डी, छपरौली, बदरखा, ककौर कलां व खुर्द, शबगा कलां व खुर्द, जागौस खादर, कोताना खादर, खेड़ी प्रधान, राजपुर खामपुर, खेड़ा इस्लामपुर, सुल्तानपुर हटाना, फैजपुर निनाना, फैजुल्लापुर, नैथला, गौरीपुर, निवाड़ा खादर, सिसाना, बागपत खादर, पाली, एवं काठा गांव प्रभावित होते है। उक्त ग्रामों से नीचे यमुना नदी के बाये किनारे पर जनपद बागपत के ग्राम मवीकलां से जनपद गाजियाबाद के ग्राम इलायचीपुर दिल्ली सीमा तक अलीपुर तटबंध का निर्माण किया जा चुका है। मवीकलां एवं सांकरौद गांव प्रभावित होते है। हिण्डन नदी की बाढ़ से पुरा महादेव, मुकारी, घाटौली, हरसियां एवं शरफाबाद कुल 05 गांव प्रभावित होते है।

जनपद में वर्ष 2014 में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत तहसीलवार स्थापित किये वाली बाढ़ चौकियों,राहत केन्द्रो व राहत शिविरों का विवरण निम्न हैः–

क्र0सं0	तहसील	बाढ़ चौकियों की सं0	राहत केन्द्रो की सं0
01	बागपत	03	03
02	बड़ौत	06	06
03	खेकड़ा	02	02
योग		11	11

सुरक्षा सुझाव

• घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।

• अगर आपका घर बाढ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबुती से सिमेन्ट आदि से बनवाये। मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते है। आप ऐसा घर बनवा सकते है जिसकी दीवार लोकल ईटों से उस ऊॅचाई तक बना हो जहॉ तक बाढ आती है।

• आपातकालीन बाक्स हमेशा अपने पास रखें।

• एक छोटी रेडियों,टार्च, बैटरी साथ रखे।

• पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूड़ा, मुड़ी, गुड़, बिस्कुट आदि) केरोसीन तेल , मोमबत्ती तथा माचिस आदि हमेशा स्टाक कर रखे।

• पालीथीन बैग या वाटरप्रुफ बैग आदि रखे जिसमें कपड़े, मॅहगें सामान, छाता, चीनी, नमक प्राथमिक उपचार बाक्स तथा मजबूत रस्सी अपने पास हमेशा रखे।

जब बाढ़ आने की चेतावनी सुने –

• अफवाह पर ध्यान न दे तथा घबराये नही।

• सूखे भोज्य पदार्थ, कपड़े, पेय जल तैयार रखे।

• बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त सामान या मशीन और पालतू जानवर को ऊॅची सुरक्षित जगह पर ले जाये।
• यह सोचकर तय कर ले कि अगर बाढ़ आ गयी तो कौन सा सामान आप फेंक सकते है।

बाढ़ के दौरान–

• उबला हुआ पानी पिये।
• खाना ढककर रखें। हल्का भोजन करे।
• कच्चा चाय, चावल का पानी आदि का दस्त के समय सेवन करे तथा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें।
• बच्चों को भूखा न रहने दे।
• ब्लीचिंग पाउडर आदि से घर के आसपास साफ रखे।
• अधिकारी की सहायता सामग्री बांटने में मदद करे।

• अगर जगह खाली करनी हो तो–

• सबसे पहले गर्म कपड़े जरूरी दवाएं कीमती वस्तु निजी कागज आदि को वाटरप्रुफ बैग/पालीथीन में डाल दे।
• स्थानीय स्वयं सेवक (अगर हो तो) को सूचित करे आप जहॉ जा रहे है।
• सबसे ऊपर बिजली के सामानो को रखें।
• मैन पावर बन्द कर दे।
• चाहे आप रहे या सुरक्षित जगह पर जाये,पर शौचालय में बालू से भरी बोरियां डाले और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को कपड़े से बन्द कर दे ताकि पानी वापिस न आये।
• घर में ताला लगायें और बताये हुए सुरक्षित रास्ते का प्रयोग करे।
• अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करे।

• अगर बाढ़ के दौरान आप घर पर ही रूके हो या वापिस लौटे हो तो–

• रेडियो द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लेते रहे।
• बच्चों को बाढ के पानी के पास या पानी में न खेलने दे।
• बाढ़ के पानी में जाने से बचे।
• अगर पार करना आवश्यक हो तो जरूरी कपड़े व जूते पहने गहराई व बहाव लकड़ी की सहायता से जॉचे।
• बिजली बाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें जब तक कि उसे जॉचा न गया हो, हो सकता है उसमे बाढ़ का पानी चला गया हो।
• वैसा कोई भी भोज्य पदार्थ का सेवन न करे जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
• नल के पानी को उबाल कर तब तक पिये जब तक कि जल विभाग उसे सुरक्षित न घोषित कर दे हैण्डपम्प का पानी जमा करे तथा क्लोरीन की गोलियां पानी में डालकर पिये।
• सांप से बच कर रहे।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का

		की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	चिन्हित स्थलो पर वायरलेस सैट की व्यवस्था करना	खोज,बचाव एवं राहत कार्यो में सहयोग करना बंधो की सुरक्षा पेट्रोलिंग	शरणलयो में पुलिस प्रबन्ध
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना ।	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था ।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	आपात कालीन नियन्त्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष खोलना राहत सामग्री राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को कियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों /पीडितो/मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6	जल निगम	बाढ से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का

				मूल्यांकन कृषको को अगैती / वैकल्पिक फसलो के बीज / सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो / संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों / संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13	बेसिक शिक्षा विभाग		बाढ क्षेत्रो के स्कूलो को सुरक्षा की दृष्टि से बन्द कर देंगें। तथा विधालयो को शरणालय के रूप में इस्तमाल करने हेतु	

			उपलब्ध करायेगें।	
14	बाढ खण्ड	बन्धो का अनुरक्षण आवश्यक सामग्री का पूर्व से भण्डारण , एवं पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना।	बन्धे की सुरक्षा हेतु नियमित पेट्रोलिंग नियमित जलस्तर एवं पुर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना	क्षतिग्रस्त बन्धे को मरम्मत /पुर्ननिमार्ण की व्यवस्था करना।
15	विकास विभाग			आवासहीनो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

अध्याय–13

सूखा

जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है । इसके अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है खेती हेतु सिंचाई के लिये जनपद में उपलब्ध संसाधन एवं खेती के क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है।

खरीफ का क्षेत्रफल–1.08 लाख हैक्टेयर

जनपद में सरकरी चालू नलकूपो की संख्या –253

नहर कुल टेलो की संख्या–37

उक्त के अतिरक्ति प्राइवेट बोरिंग से सिंचाई की सुविधा है इसके बावजूद अर्वषण की स्थिति में सूखा की समस्या पैदा हो जाती है । यद्यपि जनपद में सूखे से कभी आकाल या महामारी की स्थिति नही आयी है , न ही कोई बडी समस्या उत्पन्न हुई है फिर भी फसलो की क्षति का कारण किसानो को नुकसान उठाना पडता है। पेयजल की भी कोई बडी समस्या विगत वर्षो में नही आयी है , किन्तु जलस्तर नीचे चला जाने से कठिनाईयां पैदा होती है वर्ष 2002–2003 तथा 2004–05 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है।

सूखे के सम्बन्ध में SOP निम्न प्रकार है।–

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्र0 सं0	अधिकारी / संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक			शरणलयो में पुलिस प्रबन्ध
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	राहत शिविरो /शरणालयो पर चिकित्सीय व्यवस्था।	
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)		बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा सहायता विवरण।	
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य

			चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6	जल निगम	पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का मूल्यांकन कृषको को अगैती/वैकल्पिक फसलो के बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
9	सूचना विभाग		मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
10	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण आदि कार्य।
11	सिचाई खण्ड	नहरो में पानी की उपलब्धता सुनिशचित करना	नहरो द्वारा पानी की आपूर्ति करना तथा तालाबो को भरना	
12	विधुत विभाग		विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करना	
13	नलकूप खण्ड	नलकूपो को चालू हालत में रखना, तथा अनुश्रवण कार्य	नलकूपो से पानी की आपूर्ति करना तथा तालाबो को भरना	
14	विकास विभाग		मनरेगा आदि काय्रक्रमों में रोजगार सृजन कार्य	मनरेगा आदि काय्रक्रमों में रोजगार सृजन कार्य

अध्याय–14

आकाशीय बिजली

वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली से जन धन की हानि होती है ब्रजपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉ ध्यान में रखी जाय।

1–ऑधी आने के पहले टी0वी0 रेडियो और कम्पयूटर सभी का मोडेम ओर पावर प्लग निकाल दे।

2–सारे पर्दे लगा दे। खिडकिया बन्द रखे बिजली से चलने वाली वस्तुओ का इस्तेमाल न करे।

3–टेलीफोन का इस्तमाल न करें आपातकाल से फोन करें विद्युत चालक वस्तुओ का न छुयें खाली पैर फर्श या जमीन पर खडे न हो।

4–जब किसी पर बिजली गिरती हो तो वो जल नही जाता बल्कि उसके हृदय ओर श्वास नली पर असर होता है।

5–अगर आपके कपडे गीले है तो आप पर ब्रजपात का उतना असर नही होगा क्योकि आवेगित चार्ज कण गीले कपडे से गुजर जायेगा न कि शरीर से।

6–एक ही जगह पर ब्रजपात कई बार हो सकता है।

7–बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी मकान का सहारा लें। मैदान या पेड के नीचे नही खडा होना चाहियें। क्योकि प्रायः बिजली कोई आश्रय लेकर गिरती है।

8–बडे मकानो/संरचनाओं पर तड़ित चालक अवश्य लगवाया जाय।

अनुसंलग्नक–1

ग्राम स्तरीय कार्ययोजना की चैकलिस्ट

1–गॉव की भौतिक स्थिति।
2–कुल मकान।
3–गॉव में विभिन्न संसाधन
4–शरणालय,सुरक्षित भवन,मन्दिर आदि।
5–विधालय एवं शिक्षा सुविधि।
6–पीने के पानी की सुविधा।
7–चिकित्सीय सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र।
8–गॉव की सडकें।
9–खतरो की प्रवृत्त एवं सुरक्षित क्षेत्र।
10– उर्जा स्थापन
11–टेलीफोन , पोस्ट आफिस एवं अन्य निमार्ण।
12–अत्याधिक उॅची भूमियॉ।
13– चिकित्सीय एवं सफाई व्यवस्था की स्थिति।
14–आपदा के अर्न्तगत निमार्ण एवं मरम्मत निधि।
15–चिन्हित स्वंय सेवको का परिचय एवं उनका प्रशिक्षण ।
16–चिन्हित सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा हेतु सावधानी।

17–परिवारो की संख्या, पुरूष, महिला, एवं बच्चे अस्मर्थ ओर अति सम्बेदनशील वर्ग।
18–आजिविका के विभिन्न ,प्रसाधन नाव ,कृषि उपकरण खाद्य भण्डारण ,करघा तथा कुम्हार का चाक आदि।

अनुलंग्नक–2

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवाये।

1–inj–Atropine
2–inj–PAM-20 ml
3–inj&BAL
4–inj–SODIUM NITRITE
5–sODIUM THOISULPHATE
6–inj–Amyinitrite
7–potassium chlorode oral
8–inj &SODA bICARB
9–OXYGEN cYLINDER
10–MBUS BAG 250/500 ML
11–TAB&PARACITAMOL
12–TAB&IBUBROFEN 400
13–CIPROFLOXASIN EYE DROPS/ONIT
14–ORS POWDER
15–DIAZAPAM

शोधक/विसंक्रामक पदार्थ

1–dodium hypochlorite solution¼&storage stabilite limited not more than a monty½
2–bleaching powder (storage stabilite limited not mor than monty)
3–potassium permangante
4–charcoal powder
5–caustic soda
6–soap detergent powder
7–fuller earth
*to be replaced every month
**to be replaced every 3 month

सहयोगी उपकरण

1–public addres system
2–torch or emergency light
3–stretchers

4–recovery/ refuse bin
5–earth digging equipment
6–fire fighting extinguishers
7–water houses

आपात कालीन किट(component of emergency kit)

1– decetor paper (three color detector paper)
2– residual vapour detection kit (detector tube)
3–cam
4–AP2C
5–NBC SUIT PERMEABLE WITH HAND GLOVES AND BOOT
6–Casualty bag full
7-Casulty bag half
8-Gas mask (respirator) with disposable filter
9-Integrated hood mask
10- canister
11-NBS suit Imperneable (ensemble)
12- auto injector (atropine PAM)
13-Resuscitator
14-leak tester for mask
15-Medical kit (first Aid kit type B)
16-Personal decontamination kit
17-Portable decontamination apparatus
18-Decontamination Solution & decontaminants (Appendix-1)
19-Water poison detoction kit(detoot Cyamide Arsonic Mercury,nerve Agents in water)

अनुसंग्लनक–3

परमाणु हमले /विकिरण की स्थिति में रिस्पांस टीमो के लिये आवश्यक उपकरण एवं यंत्र

विशेष प्रतिक्रिया टीमों के लिये निम्न उपकरणो एवं यंत्रो की आवश्यकता होगी।

1–Ambulance with radiation monitoring anddecontamination faclity.
2-portable gamma ray spectromiter for isotope detection.
3-Requirement for aeraal survey monitoring
   a- Aerial monitoring system
   b- Monitors pritective equipment pc/laptop etc
4-Enveronmentel radiation monitor with navigational Aid (ERMNA) with monitiring vehicle

5-Alpha beta and gamma counting set up
6- Degital dosimeter
7- GPS for monitoring van
8-T.L.dosimeter
9-portable contamination monitor
10-CBRN suit with respirator,rubber clothes,gloves,and gum boots
11-Dust mask
12-Comfo respireator
13- Decontamonation kit ancluding moniotoring facility
14- potassium lodide/*potassium lodate tablets
15- operational manuals for all equipment traning ans guidancr leterature
16-protective coverall,cotton gloves,caps socks & shoes
17-Elecric generator
18-torch
19- binoculars
20-Miscellaneous sampling kits (a) charcoal papers and cartridges(for iodine sampling/protection)
(b) plastic sheet(for packing of contaminated material)
(c) Spare batteries
21-Micro R survey meter
22- Mini rad meter
23-GM survey meter
24- teletector
25-portable alpha contamination moitor
26-First aid kits
27-Radtation tags/Symbols
28-PA system
29-Battery operated air sampler with filter paper
30-Cordoning tape
31-tongs (2 ft) and lead flask of"tickness and 5"diameter
32-Breathing apparatus set with spare ncylenders.

अनुसंलग्नक–4

विभिन्न आपदाओं में क्षति/आवश्यकता मूल्यांकन हेतु प्रारूप–

(क) भूकम्प की क्षति के मूल्यांकन का प्रारूप।

1– घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या–

2– घायल/मृत पशुओं की संख्या–
3– पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं अनुमानित मूल्य
4– आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं अनुमानित मूल्य
5– विद्युत को हुई क्षति
6– सड़क/पुल को हुई क्षति
7– मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या
8– चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या
9– विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्या
10– जलापूर्ति में आ रही समस्या
11– महामारी की समस्या
12– कानून व्यवस्था की समस्या
13– परिवहन की समस्या
14– खाद्य एवं रसद की समस्या

अध्याय–16

जनपद के अधिकारियों की दूरभाष की सूचीः–

राजस्व विभाग			
क0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष संख्या
01	श्रीमति धनलक्ष्मी के0	जिलाधिकारी बागपत	9454417562
02	श्री सन्तोष कुमार शर्मा	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)बागपत	9454417633
03	श्री नरेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी बागपत	9454416713
04	श्री राजेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी बडौत	9454416714
05	श्री राकेश सिंह	उपजिलाधिकारी खेकडा	9454416715
06	श्री यशवर्धन श्रीवास्तव	प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट बागपत	9454419033
07	श्री अशोक कुमार	तहसीलदार बागपत	9454416716
08	श्री वेद प्रकाश चौहान	तहसीलदार बडौत	9454416717
09	श्री श्रवण कुमार राठौर	तहसीलदार खेकडा	9454416718
10	श्री अमित मलिक	नायब तहसीलदार सर्वे	9454416719
11	श्री गौतम सिंह	नायब तहसीलदार बागपत	9454416721
12	श्री रामदयाल	नायब तहसीलदार खेकडा	9919190065
13	श्री अमित मलिक	नायब तहसीलदार बडौत	9454416719
14	श्री कमलेन्द्र कुमार	वरिष्ठ कोषाधिकारी बागपत	9415923511
15	श्री परवेज आलम	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	8755015786
16	श्री भास्कर पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी एन0आई0सी0	9358806368
17	श्री कृष्ण पाल सिंह	जिला सूचना अधिकारी	09453005427
18	श्री राजकुमार	रजिस्ट्रार कानूनगों बागपत	9412820044
19	श्री इन्साफ अली	रजिस्ट्रार कानूनगों खेकडा	9412106273
20	श्री बलजोर सिंह	रजिस्ट्रार कानूनगो बडौत	9359169956
विकास विभाग			
21	श्री बैजनाथ राम	मुख्य विकास अधिकारी बागपत	9415048775
22	श्री हाकिम सिंह	जिला विकास अधिकारी	9984237799
23	श्री पवन कुमारविश्वकर्मा	खण्ड विकास अधिकारी बागपत	9456827190
24	श्री वेद प्रकाश द्विवेदी	खण्ड विकास अधिकारी पिलाना	9557129612
25	श्री कृपाल सिंह	खण्ड विकास अधिकारी खेकडा	9457674176
26	श्री विजय कुमार	खण्ड विकास अधिकारी बडौत	9012816376
27	श्री विजय कुमार	खण्ड विकास अधिकारी बिनौली	9012816376
28	श्री एस.पी.बमनिया	खण्ड विकास अधिकारी छपरौली	9412100085
29	श्री मथुरा प्रसाद मिश्र	परियोजना निदेशक ग्रा0वि0अभिकरण	9415488640
30	श्री महिपाल सिंह	सहायक अभियन्ता ग्र0वि0अभिकरण	9412126465
31	श्री दयाराम	जिला पंचायत राज अधिकारी बागपत	7895204213
32	श्री राजपाल सिंह	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बागपत	9412701388

पुलिस विभाग			
33	श्री	पुलिस अधीक्षक	9454400258
34	श्री गुलफाम अहमद	आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक	9917543536
35		पुलिस क्षेत्राधिकारी बागपत	9454401562
36		पुलिस क्षेत्राधिकारी बडौत	9454401560
37		पुलिस क्षेत्राधिकारी खेकडा	9454401561
38		पुलिय क्षेत्राधिकारी रमाला	9454405258
39		प्रतिसार निरीक्षक	9454402347
40		थानाध्यक्ष बागपत	9454402959
41		थानाध्यक्ष सिंधवली अहीर	9454402958
42		थानाध्यक्ष बिनौली	9454402962
43		थानाध्यक्ष बडौत	9454402961
44		थानाध्यक्ष रमाला	9454402967
45		थानाध्यक्ष दोघट	9454402965
46		थानाध्यक्ष छपरौली	9454402964
47		थानाध्यक्ष खेकडा	9454402966
48		थानाध्यक्ष बालैनी	9454402960
49		थानाध्यक्ष चॉदीनगर	9454402963
50		प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 बागपत	9454402052
51		जिला कन्ट्रोल रूम पुलिस लाईन	9454417383
52		कमाण्डेण्ट होमगार्ड बागपत	9456269594
53		कम्पनी कमाण्डेन्ट बागपत	9456269594
स्वास्थ्य विभाग			
54		मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत	9454455480
55		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बागपत	
56	डा0 एस0पी0सिंह	प्रा0 चिकित्सा अघीक्षक बिनौली	9412631082
57	डा0 रामेश्वर दयाल	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	9837244339
57	डा0अमर सिंह गुजियाल	चिकित्सा अधीक्षक, खेकड़ा	9411263891
58	डा0 चैतन्य माहेश्वरी	चिकित्सा अधीक्षक, बड़ौत	8534908308
59	डा0 नीरज त्यागी	चिकित्सा अधीक्षक, बागपत	9760011648
60	डा0 प्रवीण कुमार	चिकित्सा अधीक्षक, छपरौली	9457389569
61	डा0 यशवीर सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी, डौला	9759232792
62	श्री नज्जार अहमद खान	सहा0 मलेरिया अधिकारी	8273976138
जिला पंचायत बागपत			
63	श्री	जिला पंचायत राज अधिकारी	
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग			

	श्रीमति विजय प्रभा	जिला पूर्ति अधिकारी	9453668993
	श्री विजय बहादुर सिंह	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बागपत	9457080008
	श्री अजय गौण	पूर्ति निरीक्षक बड़ौत	9917951872
	श्री विनय कुमार	पूति निरीक्षक बागपत एवं खेकड़ा	9837267754
	श्री देवेन्द्र शर्मा	पूर्ति लिपिक	8476882216
		वन विभाग	
	श्री मनीष मित्तल	जिला वन अधिकारी बागपत	9453006648
		अग्नि शमन	
	श्री आर0एस0 सैनी	अग्नि शमन अधिकारी	9454418752
		कृषि विभाग	
	श्री धुरेन्द्र सिंह	उपनिदेशक कृषि	9412489993
	श्री एस0पी0 सिंह	जिला कृषि अधिकारी बागपत	9368357207
	श्री के0पी0 सिंह	सहा0 जिला कृषि अधिकारी	9411822100
		शिक्षा विभाग	
	श्री रविन्द्र सिंह	जिला विद्यालय निरीक्षक	9760921400
	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	9453004077
		परिवहन	
	श्री राजेश गंगवार	उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8005441056
		ड्रेनेज खण्ड प्रथम	
	श्री विक्रम सिंह	सहायक अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड प्रथम मेरठ	9411951905
	श्री ए0के0जैन	जे0ई0 ड्रेनेज खण्ड प्रथम मेरठ	9412577967
		सिंचाई विभाग	
	श्री मनोज साहू	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, मु0नगर	9412756565
	श्री नेम सिंह	सहायक अभियन्ता सिंचाई	9453337873
		विद्युत विभाग	
	श्री पी0के0 गोयल	अधीक्षण अभियन्ता वि0वि0मण्डल	9412749205
	श्री प्रभाकर पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बागपत	9412749242
	श्री किताब सिंह	अधि0अभि0वि0वि0खण्ड बड़ौत प्रथम	9412749232
	श्री राकेश वार्ष्णेय	अधि0अभि0 वि0वि0खण्ड बड़ौत द्वितीय	9412783580
		लोक निर्माण विभाग	
	श्री बालेन्द्र सिंह	अधि0अभि0 लो0नि0वि0 बागपत	7599106970
		सहकारिता	
	श्री अजय कंसल	जिला सहायक निबन्धक सहकारिता	9897205430
		ग्राम्य अभियन्त्रण विभाग	
	श्री जे0बी0शर्मा	अधि0अभि0 ग्रा0अभि0वि0	9927313717

	श्री देवेन्द्र बालियान	अधि0अभि0पी0एम0जी0एस0वाई	9412201900

एल0पी0जी0 एजेन्सी

क0सं0	पम्प का नाम व पता	कम्पनी का नाम	प्रोपराइटर का नाम	पम्प का लैण्डलाईन व मो0नं0
01	मै0 जौली फिलिंग स्टेशन, गौरीपुर मोड़, बागपत	आई0बी0पी0	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	0121–2221837
02	मै0 प्रवीण आटोमोबाईल्स बागपत	आई0ओ0सी0	श्री प्रवीण कुमार जैन श्री अजय कुमार जैन	9412102759
03	मै0 भजनलाल ईश्वर दयाल बागपत	एच0पी0सी0	श्री रोहताश कुमार श्री जगमोहन	9412803512
04	मै0 गुप्ता सर्विस स्टेशन बागपत	बी0पी0सी0	श्री श्यामलाल श्री राजेश कुमार श्री अनिल कुमार	9412803512
05	मै0 रमाला सर्विस स्टेशन रमाला	बी0पी0सी	श्री साहब सिंह तोमर	9897767169
06	मै0 श्रीनिवास रधुवीर सिंह, बड़ौत	बी0पी0सी0	श्री सुनिल कुमार जैन/श्रीमति सरिता जैन	9837048154
07	मै0 बिनौली फिलिंग स्टेशन बड़ौत	आई0ओ0सी0	श्री विपुल कुमार जैन	9997162920
08	मैसर्स सुखानन्द राकेश कुमार एन्टरप्राइजेज किशनपुर बराल	बी0पी0सी0	श्री राकेश कुमार पुत्र सुखानन्द	9410613846
09	मै0 चौधरी फिलिंग स्टेशन, पुसार	आई0बी0पी0	श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी	9412551895
10	मै0 होशियारी देवी फिलिंग स्टेशन दाहा	एस्सार	श्री राजवीर सिंह	9412206578
11	मै0 शिव सर्विस स्टेशन, सिंघावली अहीर	एस्सार	श्री रविन्द्र सिंह श्री लोकेन्द्र सिंह	
12	मै0 राजेंन्द्र फिलिंग स्टेशन, पिलाना	बी0पी0सी	श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह	9411986759
13	मै0 राणा फिलिंग स्टेशन, दाहा	आई0ओ0सी0	श्रीमति कमलेश राणा	
14	मै0 हरिहर फिलिंग स्टेशन अ0म0टटीरी	बी0पी0सी0	श्रीमति वीरमति पत्नी श्री हरिहर वर्मा	412890400
15	मै0 महताब किसान सेवा केन्द्र ख्वाजा नंगला	आई0ओ0सी0	श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्रीकान्त	
16	मै0 प्राक्षेय सर्विसेज	आई0ओ0सी0	श्री ओमवीर सिंह	9368801800
17	मै0 शिव शम्भू किसान सेवा केन्द्र पाबला बेगमाबाद	आई0ओ0सी0	श्रीमति जय श्री पत्नी श्री सुनिल कसाना	
18	मै0 एम0के0आर0हाइवे फिलिंग स्टेशन डूंडाहैड़ा	आई0ओ0सी0	श्री संजीव कुमार	9319854166

19	हमारा पम्प गुराना उज्ज्वल सराय रोड गुराना	एच0पी0सी0	श्री धीरज उज्जवल	9719244066
20	श्री ओंकार फिलिंग स्टेशन बिनौली रोड बड़ौत		श्रीमति रेणु शर्मा पत्नी श्री दिनेश दत्त शर्मा	

पेटी डीजल डीलर

क्र0 सं0	पेटी डीजल डीलर का नाम	पता
01	श्री अरूण कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश	अग्रवाल मण्डी टटीरी
02	श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश	नगर खेकड़ा
03	श्री विमला देवी पत्नी श्री मान सिंह	धनौरा सिल्वरनगर
04	श्री ब्रहमपाल पुत्र श्री मामचन्द	ढिकौली
05	श्री संजय कुमार पुत्र श्री महावीर	रटौल
06	श्री अजय पुत्र श्री राधेश्याम	नगर खेकड़ा
07	श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा	किशनपुर विराल
08	श्री वीरपाल चौधरी पुत्र श्री जहान सिंह	कस्बा छपरौली
09	श्री अम्बेप्रसाद पुत्र श्री बादाम सिंह	चांदीनगर (चमरावल)
10	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह	बड़ागांव
11	श्रीमति कमलेश पत्नी श्री तेजपाल सिंह	बिजवाड़ा
12	श्री अलीहसन पुत्र श्री शमसुद्दीन	लुहारा
13	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बेगराज सिंह	खट्टा प्रहलादपुर
14	श्री राजीव चौधरी पुत्र श्री सुखपाल सिंह	छपरौली
15	श्री महेश चन्द यादव पुत्र श्री सुखपाल सिंह	बालैनी
16	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री नगीना	कुर्डी

एल0पी0जी0

क्र0सं0	एल0पी0जी0 एजेन्सी का नाम	कम्पनी का नाम	पता	मोबाईल संख्या
01	बागपत गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बागपत	9412205825
02	आर्यमान इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बडौत	9411826215
03	बडौत गैस सर्विस	आई0ओ0सी0	बडौत	9837009028
04	अनिल इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बडौत	9837176193
05	प्रियंका गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	बडौत	9997086507
06	अमर इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	अमीनगर सराय	9891698395
07	हिन्दुस्तान गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	छपरौली	01234–231015
08	शहीद इकबाल गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	दोघट	9719750252
09	खेकड़ा गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	खेकड़ा	9412707370
10	मै0 पुष्पेन्द्र भारत ग्रामीण गैस एजेन्सी	वी0पी0सी	मीतली	
11	विकात गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	बिनौली	9412206578
12	कुर्डी गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	कुर्डी	
13	किरठल गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	किरठल	

मिट्टी का तेल

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	थोक विकेता का नाम	पता	मोबाईल संख्या
01	एच0पी0सी0एल0	मै0 भजनलाल ईश्वरदयाल	बड़ौत रोड बागपत	94121803512
02	वी0पी0सी0एल0	मै0 भारत आयल ट्रेंडिग कम्पनी	मेरठ रोड बागपत	9837780725
03	आई0ओ0सी0एल0	मै0 गोयल ब्रदर्स	सहारनपुर रोड बड़ौत	9837062108
04	आई0ओ0सी0एल0	मै0 मामचन्द आयल कम्पनी	दिल्ली रोड खेकड़ा	9412206578

आपदा हेतु उपयोगी समानों की सूची

1– बैटरी चलित छोटा रेडियों, टार्च
2– नई बैटरी
3– केरोसीन, तेल व माचिस/मोमबत्ती
4– पीने का पानी व खाद्य सामग्री यथा पानी,सूखा भोज्य पदार्थ (चूड़ा, मूड़ी,गुड़,बिस्कुट,लाई, चना आदि) की यथोचित आपूर्ति
5– सर्दी, खांसी, पेचिश,सिरदर्द व बुखार की आम दवाओं की प्राथमिक उपचार किट
6– विषैले जन्तुओं से रक्षा हेतु लाठी/डंडा
7– मजबूत जूते और यदि सम्भव हो तो रबर के दस्तानें
8– लाईफवाय, लाईफ जैकेट, सर्च लाईट, रेनकोट, रोप लेडर, फोल्डिंग स्टेचर, छाता, तिरपाल
9– अभिलेखो, बहुमूल्य वस्तुओं व कपड़ो को सुरक्षित रखने के लिए जलरोधी थैला।
10– साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने तक पीने योग्य पानी एकत्रित करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी।
11– आपके आपातकालीन सम्पर्को के दूरभाष व पते (जिन्हे आपात स्थिति मे सूचित किया जाना है)

शरणालय के लिए उपयोगी सामान

1– लाईट,पानी,शौचालय
2– तैयार खाद्य सामग्री
3– शरणार्थियों की सूची
4– दवाएं
5– टाट पट्टी
6– लोटा, बाल्टी, पत्तल

आपदा प्रबन्ध योजना चालू करने हेतु जिले की आवश्यकतायेः–

1–प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों /कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों पंचायती राज संस्थानो से जुडे लागों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु बजट।
2–ग्राम स्तरीय योजनाओ की तैयारी हेतु धन की आवश्यकता।
3–मानव जनित आपदा/हमले के विषय में सेना से जुडे विशेषज्ञ से प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4–जिले स्तर पर एकीकृत चिकित्सा व्यवस्था।
5–जिला स्तर पर जैविक/परमाणु हमले की तैयारी के मददेनजर विशेष रूप से तैयार की वार्ड ,एम्बुलेन्स , व चिकित्सक आदि की व्यवस्था।
6–हमले की दशा में पुलिस,राजस्व,पशुपालन,कृषि आदि विभागो से जुडे लोग जो राहत एवं बचाव कार्य में लगेंगें। उनके लिये मास्क तथा अन्य आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण।
7–बाढ राहत कार्यो के इस्तमाल हेतु मोटरबोट,लाइफबाय,लाईफ जाकेट, दिशा सूचक यंत्र की उपलब्धता
8–प्रयोगशााला।

भाग–3

1–कार्य योजना पर पुर्नविचार एवं अद्यावधिक किया जाना।
2–आरम्भ में यह आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण प्रत्येक 06 माह पर अद्यावधिक किया जायेगा।

अध्याय–17

सूचना प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप

3–सभी विभाग प्रति माह निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायेंगे।

विभाग का नाम	अधिकारी / कर्मचारी के प्रशिक्षण की स्थिति		आलोच्य माह में कितने अधिकारी / कर्मचारी का प्रशिक्षण	माह में प्राप्त आपदा प्रबन्ध से जुडे संसाधनो का उल्लेख करें	तहसील स्तरीय कार्य योजना की प्रगति	विकास खण्ड स्तरीय कार्य योजना की प्रगति	ग्रामीण क्षेत्रो में प्रशिक्षण व पूर्वाभ्यास की स्थिति
	सं0	गुणवत्ता					

निम्न सूचना उपजिलाधिकारी तहसील क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारियों से तैयार कराकर तथा उसे संकलित कराकर उपलब्ध करायेंगें।?

1–तहसील / ब्लाक में स्थित ग्रामो की संख्या।

2–ग्रामों की संख्या जहॉ आपदा प्रबन्ध योजना तैयार होगी।

3–ग्रामो की संख्या जहॉ प्रशिक्षण व पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ।